रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229928 CG-DL-E-24092021-229928

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3630] No. 3630] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2021/आश्विन 2, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021/ASVINA 2, 1943

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 3964(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948(1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्तूबर, 2021 को उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और धारा 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त हो गई है) और अध्याय 5 और अध्याय 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, धारा 78, धारा 79 और धारा 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त हो गई है] के उपबंध असम राज्य के बक्सा, चारईदेव, दीमा हसाओ, हाईलाकांडी, होजाई और कोकराझार जिलों के पहले से कार्यान्वित किये गये क्षेत्रों के अतिरिक्त सर्म्पूण क्षेत्रों में प्रवृत्त होने की तारीख नियत करती है।

[फा. सं. एस-38013 / 08 / 2021-एस.एस.[]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

5424 GI/2021 (1)

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

**S.O.** 3964(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2021 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the entire areas of Baksa, Charaideo, Dima Hasao, Hailakandi, Hojai and Kokrajhar districts in the State of Assam, in addition to the already implemented area in the district.

[F. No. S-38013/08/2021-SS.I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.